



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234444
CG-DL-E-25032022-234444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1271]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1271]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1313(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संख्या अभी सौंपा जाना है के किमी. 0.00 किमी. से 195.800 किमी, बेलगाम - हुंगुंड - रायचूर (ई.सीp.10) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- अभी सौंपा जाना है के , बेलगाम - हुंगुंड - रायचूर (ई.सी.10) (कि.मी 0+000 से कि.मी 195+800) तक की भूमि का अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बगलकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 0 से 195.8 तक	कर्नाटक	बेलगावी	बैलहोंगल	1 चिक्कमेला

[फा. सं. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1313(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 195.800 of the No Yet to be Assigned of Belgaum - Hungund - Raichur Stretch (EC10) for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Yet to be Assigned, Belgaum - Hungund - Raichur Stretch (EC10-Hyderabad - Panaji) (Km. 0.00 to Km. 195.800) in the State of Karnataka.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	0KM To 195.8KM	KARNATAKA	BELAGAVI	Bailhongal	1 Chikkamela

[F. No. NHAI/PIU-HPT/15052/LA-03/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director